विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या- 29 का उत्तर ।

	प्रश्न	**उत्तर**
29-	(क) क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि बी0टेक की फर्जी डिग्री लेकर बने 14 जनपदों में सहकारिता विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा करोड़ों रूपये की अनियमितताओं की जॉच कराते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2024 जो कि प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?	जी, हाँ ।
	(ख) यदि हॉ, तो उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र के मुख्य बिन्दु क्या- क्या थे और उक्त बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?	प्रार्थना पत्र के मुख्य बिन्दु एवं उन पर की गयी कार्यवाही संलग्न हैं। उक्त बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या- 5 पर कार्यवाही प्रचलित है। शेष शिकायती बिन्दु जांच में निराधार पायी गयी है ।
	(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपरोक्तानुसार।
	(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न ही नहीं उठता ।

जे0पी0एस0 राठौर
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
सहकारिता विभाग।

मुख्य शिकायती बिन्दु एवं उन पर की गयी कार्यवाही

बिन्दु संख्या – 1

एक फर्जी डिग्री धारक को अधिशासी अभियन्ता बनाकर चार मण्डलों (यथा वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती) 14 जनपदों में अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियुक्त किये जाने की शिकायत की गयी है।

उक्त शिकायत बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 में कुल 12 निर्माण प्रखण्ड है, जिनमें से 06 निर्माण प्रखण्ड ऐसे है, जिनमें एक से अधिक राजस्व मण्डल सम्मिलित है तथा संघ में मात्र 07 अधिशासी अभियन्ता कार्यरत है, जिन्हें निर्माण प्रखण्ड प्रभारी बनाया गया है तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण प्रखण्डों के सापेक्ष कम होने के कारण 04 अधिशासी अभियन्ताओं को एक से अधिक प्रखण्डों का प्रभार सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि सन्दर्भित अधिशासी अभियन्ता श्री अतुल चन्द्र श्रीवास्तव गोरखपुर प्रखण्ड (जिसमें गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल सम्मिलित है) में अधिशासी अभियन्ता/प्रखण्ड प्रभारी के पद पर तैनात है। वाराणसी निर्माण प्रखण्ड (जिसमें वाराणसी एवं मिर्जापुर मण्डल सम्मिलित है) में पूर्व में श्री अनिल कुमार सिंह अधिशासी अभियन्ता/प्रखण्ड प्रभारी के रूप में तैनात थे। किन्तु कतिपय अनियमितताओं के प्रकरण में इस कार्यालय के आदेश पत्रांक–3115/स्था0/व्यक्ति0 पत्रा0/2023–24 दिनांक 25.08.2023 द्वारा श्री अनिल कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर उन्हें निलम्बित किये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश पत्रांक–3117/स्था0/सामान्य प्रशा0–9/2023–24 दिनांक 25.08.2023 द्वारा निर्माण प्रखण्ड वाराणसी के प्रखण्ड प्रभारी के रिक्त पद का प्रभार श्री अतुल चन्द्र श्रीवास्तव, प्रखण्ड प्रभारी गोरखपुर को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया था।

अतएव शिकायतकर्ता का उक्त बिन्दु भ्रामक, निराधार एवं असत्य है।

<u>बिन्दु संख्या – 2</u>

'' आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक संख्या–1550/ वै0सहा0आयुक्त–2024 दिनांक 12 फरवरी 2024 को उक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा परियोजना को विलम्बित किये जाने एवं शासकीय धन का अपवंचन किये जाने के सम्बन्ध में निलम्बित करने हेतु प्रबन्ध निदेशक को पत्र प्रेषित किया गया। परन्तु प्रबन्ध निदेशक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।'' आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी का कार्यालय पत्रांक–1550/वै0सहा0 आयुक्त–2024 दिनांक 12 फरवरी 2024, जो जनपद–वाराणसी के शहर के अन्तर्गत ओल्ड काशी के 06 वाडो के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्यो को पूर्ण करने में विलम्ब होने के कारण जारी कारण बताओ नोटिस से सम्बन्धित है जो कि श्री अतुल चन्द्र श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, वाराणसी को सम्बोधित है। उक्त पत्र प्रबन्ध निदेशक को न तो सम्बोधित है और न ही पृष्ठांकित है। जिसके कारण उक्त पत्र के आधार पर प्रबन्ध निदेशक के स्तर से उक्त पत्र के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। अतएव शिकायत का उक्त बिन्दु निराधार है।

<u>बिन्दु संख्या – 3</u>

'' इस परियोजना पर अभी तक निर्माण कार्य चल रहा है एवं परियोजना पर आवंटित धनराशि निकालकर आपस में बाट लिया गया है। जिसके कारण परियोजना पूर्ण नहीं हो पा रही है।'' उक्त कथन असत्य एवं निराधार है, क्योंकि जनपद–वाराणसी के शहर के अन्तर्गत ओल्ड काशी के 06 वाडो के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुये कार्य हस्तान्तरण हेतु दिनांक 30.05.2024 को इन्वेन्ट्री पर्यटन विभाग को प्रेषित की जा चुकी है।

बिन्दु संख्या – 4

''प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व नाम–एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–2020 में स्वीकृत जनपद–गाजीपुर के भदौरा के खजुरी एवं सिहानी में पाइप पेयजल योजना स्वीकृत लागत (रू0 237.35 लाख एवं रू0 163.80 लाख) जो निर्माणाधीन है उक्त परियोजना पर ठीकेदार द्वारा एक वर्ष पूर्व करोड़ो का कार्य कराया गया जिसका मापांकन करके भुगतान अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। अन्त में विवश होकर ठेकेदार द्वारा जिलाधिकारी महोदया एवं प्रमुख सचिव, सहकारिता, महोदय से शिकायत की गयी तद्‌परान्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा माह–मई 2024 में एकमुश्त ठेकेदार को भुगतान किया गया।''

उक्त कथन असत्य एवं निराधार है, क्योंकि उक्त निर्माण कार्यो पर धनाभाव के कारण ठेकेदार का भुगतान किया जाना सम्भव नही हो पा रहा था।

उक्त कार्यो हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पत्रांक–319/अ.स.क.नि./पी.एम.जे.वी.के./एस.एन.ए.(346) टी.सी./2024 दिनांक 29.04.2024 द्वारा धनावंटन किया गया (लिमिट जारी की गयी)। तद्‌परान्त ठेकेदार मेसर्स अभिषेक कुमार पाण्डेय को पेयजल योजना खजुरी पर रू0 53.50 लाख तथा पेयजल योजना सिहानी पर रू0 15.66 लाख, कुल रू0 69.16 लाख का भुगतान दिनांक 14.05.2024 को किया गया।

बिन्दु संख्या – 5

'' अधिशासी अभियन्ता, श्री अतुल चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से 2007 में डिस्टेन्स एजुकेशन से बी0टेक की फर्जी डिग्री बनवाकर अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उदयपुर की जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, डिम्ड यूनिवर्सिटी और सरदार शहर की इंस्टीच्यूट आफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन राजस्थान, इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीच्यूट इलाहाबाद, यू0पी0 और विनायक मिशन रिसर्च फाउन्डेशन तमिलनाडु की वर्ष 2001 से डिस्टेंस एजुकेशन से ली गयी बी0टेक, एम0 टेक डिग्रियों को निरस्त कर दिया है।''

उक्त शिकायत के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि श्री अतुल चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने पक्ष व संलग्न तथ्यों तथा उनकी व्यक्तिगत पत्रावली एवं अन्य उपलब्ध तथ्यों के कार्यालय द्वारा परीक्षण करने पर पाया गया कि उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवामण्डल, लखनऊ द्वारा निर्गत विज्ञापन दिनांक 16.11.2010 में क्रमांक – (पद कोड) 83 के अन्तर्गत उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ हेतु सहायक अभियन्ता (सिविल) के 03 पदों की भर्ती किये जाने का उल्लेख था। उक्त विज्ञापन के बिन्दु संख्या – 2 शैक्षिक योग्यता के अन्तर्गत पद कोड संख्या–83 के लिये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक कम से कम 02 वर्ष का क्रियात्मक अनुभव या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त, 05 वर्ष का सहकारिता क्षेत्र में निर्माण कराने का अनुभव का उल्लेख था।

विज्ञापन के समय इनकी सिविल इंजीनियरिंग स्नातक की डिग्री जो जर्नादन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्रताप नगर, उदयपुर राजस्थान द्वारा 2007 में निर्गत की गयी थी। किन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश CA Nos. 17869-17870/2017 arising out of special leave Petition (C) Nos. 19807-19808/2012 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 के पैरा – 47 एवं 53 (IV), जिसका प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैं :–

47 ‘‘The AICTE is directed to devise within one month from the date of this judgment modalities to conduct appropriate test/tests both in written examination as well as in practicals for the concerned students admitted during the academic sessions 2001-2005 covering all the concerned subjects. It is entirely left to the discretion of AICTE to come out with such modalities as it may think appropriate and the tests in that behalf shall be conducted in the National Institutes of Technology in respective States wherever the students are located. The choice may be given to the students to appear at the examination which ideally should be conducted during May-June, 2018 or on such dates as AICTE may determine. Not more than two chances be given to the concerned students and if they do not pass the test/tests their degrees shall stand recalled and cancelled.”

53 ¼IV½ "The AICTE shall devise the modalities to conduct an appropriate test/tests as indicated in Para 47 above. The option be given to the concerned students whose degrees stand suspended by 15.01.2018 to appear at the test/tests to be conducted in accordance with the directions in Para 47 above. Students be given not more than two chances to clear test/tests and if they do not successfully clear the test/tests within the stipulated time, their degrees shall stand cancelled and all the advantages shall stand withdrawn as stated in Paras 46 and 47 above." के अनुसार AICTE द्वारा उक्त डिग्री के वैलीडेशन के लिये आयोजित परीक्षा श्री अतुल चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा क्वालिफाई किये जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे इनकी उक्त डिग्री अमान्य हो गयी।

श्री अतुल चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/तथ्यों से प्रतीत होता है कि चयन के समय सहायक अभियन्ता पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक कम से कम 02 वर्ष का क्रियात्मक अनुभव या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त, 05 वर्ष का सहकारिता क्षेत्र में निर्माण कराने का अनुभव था। उक्त दोनों योग्यताएँ श्री अतुल चन्द्र श्रीवास्तव तत्समय धारित करते थे, जो उनके आवेदन पत्र से स्पष्ट है। वर्तमान सन्दर्भों मे मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 03.11.2017 से तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में AICTE द्वारा डिग्री के वैलीडेशन हेतु आयोजित परीक्षा क्वालिफाई किये जाने का कोई प्रमाण श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत न किये जाने के कारण इनकी स्नातक सिविल की डिग्री अमान्य हो गयी। किन्तु राजकीय पॉलीटेक्निक आजमगढ़ से प्राप्त सिविल अभियन्त्रण में डिप्लोमा एवं 07 वर्ष 02 माह का सहकारी क्षेत्र की उ0प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0, 19 ए विधान सभा मार्ग, लखनऊ–226001 से अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर अनुबन्ध के आधार पर सिविल कार्य का अनुभव की योग्यता वर्तमान में भी धारित करते है। उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–817/स्था0/व्यक्ति0 पत्रा0/2024–25 दिनांक 19.07.2024 द्वारा उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवामण्डल, लखनऊ से अभिमत प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में सचिव, उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवामण्डल, लखनऊ के पत्रांक–535/मण्डल/प्रो0–132/2024 दिनांक 04.09.2024 द्वारा

अवगत कराया गया है कि श्री अतुल चन्द्र के चयन के समय दिनांक 21.11.2010 को अमर उजाला में प्रकाशित विज्ञापन संख्या–सी–45/2010 पद कोड – 83 सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद हेतु निम्नवत् शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गयी थी –

''मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक कम से कम 02 वर्ष का क्रियात्मक अनुभव

या

सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त, 05 पाँच वर्ष का सहकारिता क्षेत्र में निर्माण कराने का अनुभव।''

श्री श्रीवास्तव द्वारा आवेदित आवेदन पत्र के अनुसार तत्समय वे अधोलिखित विवरण के अनुसार दोनों शैक्षिक अर्हता की पूर्ति करते थे :–

स्नातक सिविल इंजीनियरिंग, अनुभव 02 वर्ष 06 माह

तथा

डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अनुभव 07 वर्ष 02 माह

यदि इनकी डिग्री अमान्य है तो उनके चयन का स्टेटस उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 120 के प्राविधानानुसार सक्षम स्तर पर विचार किया जायेगा।

श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक प्रमाण – पत्रों एवं डिग्री की जांच प्रचलित है।